ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 247-248
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

ई - सिगरेट : नशे की नई महामारी

सीमा शुक्ला

असि0 प्रोफे0–समाजशास्त्र विभाग, सरोज विद्याशंकर सरस्वती स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुजानगंज–जौनपुर (उ0प्र0) भारत

Received- 07.12. 2019, Revised- 10.12.2019, Accepted - 14.12.2019 E-mail: hariocomputer@gmail.com

सारांश : *वर्तमान में विश्व एक नशे की नई माहामारी से जूझ रहा है। यह नई महामारी ई–सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो । यह धूम्रपान के विकल्प के रूप में सामने आया है। यह धीरे–धीर सम्पूर्ण विश्व में फैल चुका है। अमेरिका में तो यह बहुत पहले ही महामारी के रूप में फैल चुका या । अब यह वैश्विक चिन्ता का विषय बन गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी वैश्विक समस्याओं के साथ–साथ विभिन्न देशों में इसको लेकर चिन्ता व्यक्त की जा रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् (ICMR) ने अपने सदस्य देशों से इसे प्रतिबन्धित करने की अपेक्षा की है। भारत ने भी इस दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। अभी तक कुल 22 देश ई–सिगरेट की प्रतिवन्छित कर चुके है।*

कुंजी शब्द– विश्व, नशे, महामारी, ई–सिगरेट, धुम्रपान, वैश्विक, चिन्ता, स्वास्थ, समस्याओं, विकल्प, प्रतिबन्धित।

ई– सिगरेट क्या है – इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, बैटरीयुक्त उपकरण है जो निकोटिन वाले धोल को गर्म करके स्परोसोल पैदा करता है। यह देखने में साधारण सिगरेट जैसा होता है। इसमें बैटरी व एक कार्टेज होती है कार्टेज में निकोटिन युक्त तरल पदार्थ भरा होता है यह तरल पदार्थ बैटरी की सहायता से गर्म होकर निकोटिन युक्त भाप देता है। स्परोसोल सामान्य सिगरेटों में एक व्यसनकारी पदार्थ है इनमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, गर्म होने वाले (हिट नाट वर्न) उत्पाद है। ई–हुक्का और इस प्रकार के अन्य उपकरण शामिल है। ऐसे नये उत्पाद आकर्षक रूपों तथा विभिन्न सुगन्धों से युक्त होते है।

ई–सिगरेट का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। विकसित देशों में विशेषकर युवाओं और बच्चों में इसने एक महामारी का रूप ले लिया है हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 77.8 प्रतिशत की दर से स्कूली छात्रों में इसकी लत वद रही है। सम्पूर्ण विश्व में ई–सिगरेट का बाजार वर्तमान में 89.6 हजार करोड़ का है।

ई– सिगरेट के दुष्प्रभाव– ई– सिगरेट के अविष्कार के नेपथ्य में यद्यपि यह भावना थी कि सामान्य सिगरेट पीने की हानियों से बचा जा सके, परन्तु यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा और इसके कई हानिकारक प्रभाव सामने आये। इसके सेवन से कैंसर का खतरा बना रहता है तम्बाकू के मुकावले ई– सिगरेट में दस गुना ऐसे तत्व मौजूद होते है जो हमारे शरीर में कैसर जैसी बीमारी को पैदा करते है ई– सिगरेट के अन्दर इस्तेमाल किये जाने वाले तरल पदार्थ के वाष्प में फार्माल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड जैसे रसायन होते है जो शरीर के लिये अत्यधिक नुसकानदायक होते है। ई – सिगरेट फेफड़ा के साथ– साथ गुर्दो के लिय भी हॉनिकारक सिद्ध हुआ है इसके लगातार सेवन से गुर्दे कमजोर हो जाते है तथा कार्य करना बन्द कर देते है।

भारत में इससे निपटने का प्रयास व प्रतिबन्ध – अन्य देशों की भॉति भारत ई– सिगरेट के बढ़ते प्रचलन से चिन्तित है। भारत के कई राज्यों (अब तक कुल 16 राज्य) में ई– सिगरेट को प्रतिबन्धित किया जा चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में 18 सितम्बर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रिय मन्त्रिमण्डल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, नियति, परिवहन, विक्रय, वितरण भण्डारण और विज्ञापन) निषेध अध्यादेष 2019 की घोषणा को अपनी स्वीकृति प्रदान की। अघ्योदश में ई– सिगरेटों का किसी प्रकार उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित) वितरण अथवा विज्ञापन (ऑनलाइन विज्ञापन सहित) एक संज्ञेय अपराध माना गया है और पहली बार अपराध के मामले में एक वर्ष तक कैद अथवा एक लाख तक जुर्माना अथवा दोनों और अगले अपराध के लिये तीन वर्ष तक कैद और पाँच लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के भण्डारण के लिये भी छः माह तक कैद अथवा 50 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते है।

अध्यादेश के अनुसार ई– सिगरेटों के मौजूदा भण्डारों के मालिकों को इन भण्डारों की स्वतः घोषणा करके निकटवर्ती पुलिस थाने में जमा करना होगा। पुलिस उप निरीक्षक को अध्यादेश के तहत कार्यवाही करने के लिय अधिकृत अधिकारी के रूप में निर्धारित किया गया है अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने के लिये इन्हें अथवा राज्य सरकार किसी अन्य समकक्ष अधिकारी के रूप में निर्धारित कर सकती है।

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

ई – सिगरेटों के व्यानन के निषेध के निर्णय से लोगों को विशेषकर युवाओं ओर बच्चों को ई– सिगरेटों के व्यासन के जोखिय से बचाने में मदद मिलेगी। अध्यादेश के लागू होने से सरकार द्वारा तम्बाकू नियन्त्रण के प्रयासों को बल मिलेगा और तम्बाकू के इस्तेमाल में कमी लाने में मदद की सम्भावना व्यक्त की गई है साथ ही इससे जुड़े आर्थिक बोझन और बीमारियों में भी कमी आने की आशा व्यक्त की गई हो।

ई– सिगरेट (E- Cigarette)– ई – सिगरेट, सिगार, सिगरेट या पाइप जो धूम्रपान वाले तम्बाकू उत्पादों का एक विकल्प है। ई– सिगरेट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वाष्पीकृत सिगरेट भी कहा जाता है। एक बैटरी चालित उपकरण है, जो निकोटिन या गेट–निकोटिन के वाष्पीकृत होने वाले धोल की सांस के साथ सेवन की जाने वाली खुराक प्रदान करता है। ई– सिगरेट किसी हद तक लम्बी ट्यूब के रूप का होता है, जबकि बाहरी आकार–प्रकार वास्तविक धूम्रपान उत्पादों जैसे– सिगरेट, सिगार या पाइप जैसा डिजायन किया गया है।

अविष्कार– ई– सिगरेट के अविष्कार का श्रेय एक चीनी फार्मासिस्ट होनलिक को दिया जाता है। होनलिक द्वारा वर्ष 2003 में ई–सिगरेट ईजाद किया और उसके अगले वर्ष इसे बाजार में उपलब्ध कराया गया था। होनलिक के पिता की मृत्यु फेफड़ों में कैंसर से हुई थी इसके बाद उन्होंने एक ऐसे सिगरेट के उत्पाद पर कार्य किया कि जो कि निकोटिन के सेवन का सुरक्षित तरीका हो। ई–सिगरेट में अविष्कार के नेपथ्य में यद्यपि यही भावना था। होनलिक की कम्पनी गोल्डन ड्रेगन होल्डिंगन ने 2005–06 में विदेशों में इसकी बिक्री शुरू की और बाद में इसका नाम बदलकर रूपान अथवा धूम्रपान जैसा रखा गया। यह कई देशों में कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो कई देशों में कानूनी मान्यता प्राप्त हो, तो कई देशों मे इसे प्रतिबन्धित किया गया है।

ई – सिगरेटों को प्रतिवन्छित करने पर विचार करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 2018 में सभी राज्यों में लिये जारी की गई। एक चेतावनी की पृष्ठभूमि में वर्तमान में इस अध्यादेश से पूर्व ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, सहित अनेक राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्राधिकारों में ई – सिगरेटों को प्रतिवन्छित कर दिया था।

ई – सिगरेट सबकी चिन्ता का विषय है इस विषय पर हाल में जारी एक श्वेत पत्र में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् (ICMR) ने भी उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर ई – सिगरेटों पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाने की अनुशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी अपने सदस्य देशों से मॉग की है कि इन उत्पादों को प्रतिबन्धित करने के साथ–साथ इस प्रचलन को रोकने का समुचित उपाय किया जाये। में स्पष्ट किया है कि सिगरेट पीने वाले सिगरेट छोड़ देगें तभी लाभ मिलेगा।

सामाधान– उत्पादकों द्वारा पारम्परिक सिगरेटों के लिय अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्पों के रूप में इन उत्पादों को बाजार में लाया जाता है जो भ्रमित करने वाला होता है। इस प्रकार सुरक्षा के दावे असत्य पाये गये है इसके उत्पादकों द्वारा सामान्य रूप से ई– सिगरेटों को धूम्रपान निवारण उपकरणों के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, किन्तु एक निवारण उपकरण के रूप में उनकी क्षमता और संरक्षा को अब तक सत्यापित नहीं किया गया है।

लोगों के लिये तम्बाकू का इस्तेमाल छोड़ने में मददगार माने जाने वाले परीक्षित निकोटिन और गैर निकोटिन फार्मा कोयेरेपियों से पृथक विश्व स्वास्थ संगठन ने निवारण उपकरणों के रूप में ई– सिगरेटों की अनुमति नहीं दी है इन उत्पादों के संभावित लोगों के बारे में असत्य जानकारी देकर तम्बाकू निवारण के प्रयासों में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे विकल्पों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु अधिकांश मामलों में यह पारम्परिक तम्बाकू उत्पादो के इस्तेमाल के पोषक है। निकोटिन में अतिरिक्त अन्य साइकोएक्टिव पदार्थो के वितरण के लिये भी ई – सिगरेटो के इस्तेमाल की सम्भावना है। ई– सिगरेटों से जुड़े जोखियों के बिना वैज्ञानिक तौर पर प्रभावित निकोटिन के लिये प्रतिस्थापन के रूप तम्बाकू का इस्तेमाल छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिये च्विगंमों खट्टी–मिठी गोलियों और पैचों के रूप में उपलब्ध है ई– सिगरेटों और ऐसे उपकरणो के व्यापक इस्तेमाल और अनियमित फैलाव से तम्बाकू इस्तेमाल में कमी लाने के सरकार के प्रयास निष्प्रभावी सिह होगें।

ई – सिगरेट के बढ़ते चलन ने एक विरोध प्रकार की पीढ़ी का निर्माण किया है इस वैश्विक समास्या से निपटने के प्रयासो को गति इसके उत्पादन बिक्री व दुष्प्रभावो के व्यापक प्रचार प्रसार से दी जा सकती है भारत सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इसे रोकने का प्रशंसनीय प्रयास है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा0 सूर्यनारायण पाण्डेय – प्रतियोगिता दर्पण अंक दिसम्बर – 2019 पृष्ठ – 85 –86।

*****